नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 19/6/13

कार्यालय आदेश– Com/Resolution -84/13 140

विषय :–	भविष्य में सभी उच्च विभव एकरारनामे से कंडिका–13 के प्रावधानों को विलोपित करने तथा उच्च विभव एकरारनामें के कंडिका–13 के अधीन लंबित सभी मामलों को निष्पादित करने के लिए मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) को प्राधिकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

Subject:-Amendment in Standard HT Agreement by Omitting Clause -13 from all Future HT Agreements & Authorizing Chief Engineer(Commercial) to Dispose Off all Pending Disputes under Clause-13 of HT Agreement.

पूववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्धारित उच्च विभव उपभोक्ताओं के प्रमाणिक एकरारनामें की कंडिका–13 में उच्च विभव उपभोक्ताओं को प्राकृतिक आपदाओं एवं परिस्थितियों के कारण लाईसेन्सी द्वारा निर्धारित विद्युत आपूर्ति नहीं दिए जाने की स्थिति में उन्हें विपत्रीकरण में छूट दिए जाने का प्रावधान था।

बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 दिनांक 10.01.2008 से प्रभावी है, जिसकी कंडिका–12.1 के तहत ऐसी छूट की सुविधा समाप्त कर दी गई है। तद्नुसार, भविष्य में किए जाने वाले सभी उच्च विभव एकरारनामा के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए जाते है :–

1. पूर्व में निर्धारित मानक एकरारनामे के कंडिका–13 के प्रावधानों को विलोपित करते हुए भविष्य में सम्पादित किए जाने वाले सभी उच्च विभव एकरारनामे से तत्संबंधी प्रावधान हटा दिए जाएगें।
2. उच्च विभव एकरारनामें के कंडिका–13 के अधीन लंबित सभी मामलों को निष्पादित करने के लिए मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

यह आदेश अविलम्ब प्रभावी होगा। इस पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 /–
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

ज्ञापांक ..../ दिनांक........................./

प्रतिलिपि– सभी उपमहाप्रबन्धक –सह– विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, एनबीपीडीसीएल/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति अंचल, एनबीपीडीसीएल/ सभी विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, एनबीपीडीसीएल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह0 /–
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)